न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 13/2021

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र घींसाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र बालूराम,
2. नानगा पुत्र भगता,
   समस्त जाति धोबी, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. रामपाल पुत्र गणेश, जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. सुरज्ञान पुत्र रामेश्वर, नाबालिग जरिये संरक्षक रामेश्वर, निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. हंसराज अग्रवाल पुत्र श्री प्रभूदयाल, जाति अग्रवाल महाजन, निवासी सी–1/5, विधाधर नगर, जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 29.11.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 445 खसरा नम्बर 1260 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसकी सम्पूर्ण की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1260 के दक्षिणी सीमा पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मनबट में आई हुई भूमि स्थित है जिनके मध्य की सीमा इस वाद पत्र में विवादग्रस्त है जिसे की वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त सम्पत्ति के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

उक्त वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 1260 की दक्षिणी सीमा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1271 व 1272 स्थित है जिनके मध्य की सीमा का सीमाज्ञान नहीं हुआ है बल्कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादी के स्वामित्व की खातेदारी भूमि की सीमा पर लगाये गये सीमा के पत्थरों का उखाडकर अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है जिसका की प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कोई हक अधिकार नहीं है प्रतिवादी संख्या 5 जो कि भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, जो कि उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व अन्य की भूमि पर कॉलोनी विकसित करने का कार्य कर रहा है, तथा इसी क्रम में वादी की भूमि खसरा नम्बर 1260 की दक्षिणी सीमा पर खडे सीमा चिन्ह पत्थरों को उखाडकर सींव को काटकर अपनी भूमि में मिलाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार कतई भी प्राप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:56:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 का वाद प[illegible] संख्या 1 में वर्णित विवादित सम्पत्ति खसरा नम्बर 1260 की द[illegible] से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] 2 वादी की भूमि के प[illegible] सीवजोड काश्तकार है जो कि वाद पत्र के मद संख्या [illegible] में वर्णित भूमि की दक्षिणी [illegible] में सीवजोड स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 5 वादी की भूमि की सीमाओं को स्वयं की भूमि में मिला लेना चाहते है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता2 आये दिन बिना वजह वैमनस्य के कारण विवादग्रस्त भूमि को हडप करने व उस पर जबरिया नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से सींव में तोड फोड करते रहते है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादी

Scanned with CamScanner

व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते रहते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 को कोई हक अधिकार नहीं है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों व भूमाफिया की मदद से दिनांक 15.01.2021 को विवादग्रस्त सम्पत्ति पर आकर वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की विवादित भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादी को विवादित सम्पत्ति की दक्षिणी सीमा को तोडकर स्वयं की भूमि में मिलाकर वादी को बेदखल कर कब्जा करने का प्रयत्न किया गया तथा विवादित सम्पत्ति पर जबरिया निर्माण सामग्री एकत्रित कर कब्जा करने का प्रयत्न करने लगे तथा वादी की जमीन में जबरन् प्रवेश कर अवैध निर्माण करने हेतु नींव खोदने लगे तथा वादी की भूमि में अतिक्रमण कर पुख्ता दीवार बनाने व भूखण्ड काटने की धमकी देने लगे, जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर प्रतिवादी सं. 1 ता 2, 5 द्वारा वादी को एहलानियां धमकी दी गई कि वह शीध ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल कर देंगे तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति की तो इसका परिणाम अच्छा नही होगा, जिस कारण वादी द्वारा वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री किया जाकर वादी को निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किया जावेः–

(क) प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 5 वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित सम्पत्ति के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही विवादित सम्पत्ति पर बनी सींव में तोडफोड करे, ना हीं जबरिया कोई नींव खोदकर निर्माण कार्य करें, ना हीं सीमा चिन्हों के साथ छेडछाड करें, ना ही उसे खुर्द बुर्द करें, ना ही विवादित सम्पत्ति पर जबरिया कब्जा कर वादीको बेदखल करें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या । ता 2 व 6 विवादग्रस्त सम्पत्ति की दक्षिणी सीमा की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या । ता 2 व 5 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट वारिसान् या वर्कमेन के जरिये करवायें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट जैतपुरा में पेश हुई। वादी स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है।

पत्रावली एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी को सूना गया। प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि हाल खाता संख्या 445 खसरा नम्बर 1260 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2, 5 को [illegible] पाबन्ध किया जावें। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को [illegible] हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:56:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को खुले [illegible] द्वारा सुनाया गया।

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन (I.A.S)

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र घींसाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र बालूराम,
2. नानगा पुत्र भगता,
   समस्त जाति धोबी, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. रामपाल पुत्र गणेश, जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. सुरज्ञान पुत्र रामेश्वर, नावालिग जरिये संरक्षक रामेश्वर, निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. हंसराज अग्रवाल पुत्र श्री प्रभूदयाल, जाति अग्रवाल महाजन, निवासी सी–1/5, विधाधर नगर, जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–13/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तथा तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि हाल खाता संख्या 445 खसरा नम्बर 1260 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2, 5 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.11.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प [illegible]	2	
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	3		मीजान	2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:56:23 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner